राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2019/जे–823 जयपुर, दिनांक : 11.12.2019

आदेश

मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 15238/2019 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 14.10.2019 की पालना में मा. न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन डा. जुगमल राम, चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भीनमाल, जालौर के पद पर कार्यग्रहण करवाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अनिल कुमार कौशिक)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 15238/2019 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 14.10.2019 को शीघ्र वैकेट कराये जाने की कार्यवाही करावें।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर/बाडमेर
6. संबंधित अधिकारी
7. कम्प्यूटर सेल
8. निजी /रक्षित पत्रावली

11/12/19

(नवल बिहारी ढलवाल)
शासन सहायक सचिव